

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाह (राज.)

(पॉस्टासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा विभाग 2025 कैम्प स्थल) कपासन

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 246/25

दापर दिनांक 27/9/25

निर्णय दिनांक 27/9/25



क्र.ग.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>कपासन</u>	65	<p>गहोदय जी, निवेदन है कि मुनादिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> प.ह. <u>कपासन</u> खालास <u>65</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनोर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दसमद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिनिधि पालनार्थ:- पु.रा.न.स.रा. कपासन को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदसमदकरण चितौडगाह

1. पटवारी पटवार मण्डल चितौडगाह

तहसीलदार (प.अ.) कपासन
 तहसीलदार कपासन
 तहसीलदार (प.अ.) कपासन